कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

क्रमांक : ई–पब्लिक लाइब्रेरी / 2024–25 / निविदा –01 / 395 दिनांक :– 19 /06/ 2024

ऑफलाईन निविदा सूचना संख्या – 01 / 395 / 2024 –2025

सेवामें,

प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान सम्वाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग परिसर, शासन एवं सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन उपापन नियम 2013 के अनुसार संलग्न समाचार निविदा सूचना पत्र में प्रकाशित कराने का श्रम करावें।

उक्त निविदा को SPPP पोर्टल पर दिनांक 20/06/2024 को अपलोड़ कर दिया गया है जिसके UBN No ____________________ हैं।

19-6-24

पुस्तकालयाध्यक्ष

नगर निगम, उदयपुर

E:\data\D DRIVE\2021\All G schedule 2021\...

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

क्रमांक : ई–पब्लिक लाईब्रेरी /2024–25/निविदा –01/ 395 दिनांक :– 19/06/2024

ऑफलाईन निविदा सूचना संख्या – 01/395/2024–25

निविदा सूचना

नगर निगम, उदयपुर द्वारा AC क्रय एवं फिटिंग कार्य हेतु विद्युत संवेदको/एजेन्सियों अथवा निविदा शर्तो के आधार पर पात्र संवेदकों से निविदाएं आंमत्रित की जाती है। अर्नेष्टमनी बैंक ड्राफ्ट द्वारा 2 प्रतिशत अनुमानित लागत का आयुक्त नगर निगम, उदयपुर के नाम देय होगी जो EMD, Tender & Processing Fee निर्धारित दिनांक एवं समय तक निगम वेब साईट http://www.udaipurmc.org पर E-Tender में जाकर Online जमा कराकर प्राप्ति रसीद जमा कराये जाने वाले दस्तावेजो के साथ अटेच करनी होगी। इस प्रक्रिया के अतिरिक्त EMD, Tender Fee & Processing Fee स्वीकार्य नही होगी। इस सम्बन्ध में सहायता हेतु संलग्न प्रोसेस का अवलोकन करे। सशर्त निविदा मान्य/स्वीकार नही होगी। निविदा विक्रय एवं खोलने की दिनांक को अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस पर वांछित कार्यवाही की जावेगी।

क्र सं	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा विक्रय दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक
1.	3 AC क्रय एवं फिटिंग कार्य हेतु	**2,99,000**	**5,980**	**590/-**	**1माह**	दिनांक **20-06-2024** से **26-06-2024** तक प्रातः 10.00 से सांय 5.00बजे तक	**27-06-2024** दोपहर 3.00 बजे तक

नोट :– निविदा प्रपत्र वेब साईड www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। पोर्टल से डाउन लोड की गयी निविदा का निविदा प्रपत्र शुल्क एवं धरोहर राशि का डिमाड ड्राफ्ट की प्राप्ति रसीद निविदा प्रपत्र के साथ पृथक से संलग्न करनी आवश्यक है।

19-6-24

पुस्तकालयाध्यक्ष

नगर निगम, उदयपुर

E:\data\D DRIVE\2021\All G schedule 2021\Harshita\2CCTV Survillance System at UMC Office And Cown house

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

निविदा प्रपत्र

क्रमांक : ई–पब्लिक लाईब्रेरी /2024–25/395/ दिनांक :– 19/06/2024

कार्य सं 01

कार्य का नाम :–

अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा विक्रय दिनांक व समय	निविदा प्राप्ति दिनांक व समय	समयावधि
2,99,000	**5980**	590/-	दिनांक 20/06/2024 से 26/06/2024 तक प्रातः 10.00 am से 5 pm तक	दिनांक 27/06/2024 3.00 pm तक	01 माह
मद	**डीडी नम्बर**	**राशि**	**दिनांक**	**बैक**	
निविदाप्रपत्र शुल्क					
बोली प्रतिमूति राशि					

निविदादाता नाम :– ....पता ....

सम्पर्क नम्बर :–.....................

Municipal Corporation Udaipur

ESTIMATE

Name of work: - SITC of A.C. at E-publicLibrary, Ashok nagar Udaipur with 1 year O&M.

BSR 2013 Group 1st +16.35%

Sr. No.	PARTICULAR	Unit	Qty	Rate	Amount (RS)
1.	SITC of Air Cooled split type Air conditioners complete with Indoor unit(IDU), Out door unit (ODU), surface / concealed copper Refrigerant piping with insulation (EP foam pipe section) upto 3 Mtr (IDU to ODU), copper power cable upto 4 Mtr (IDU to ODU), R-22/R-410 Refrigerant, Remote, suitable for 400/230V +10% of 50 Hz ,1 /3 phase AC supply capable of performing cooling, dehumidification, air circulation of following capacity with Scroll / reciprocating / rotary compressor as specified. **2.0 TR with 5 star rating of BEE Group -1 O-General, Mitsubhishi**	Each	3	78711	236132.33
2.	SITC of Interconnecting refrigerant pipe work with closed cell elastomeric nitrile rubber tubular insulation between each set of indoor & outdoor units as per specifications including chase cutting, supports etc. as required. 12.7 mm Group - 1	Mtr.	40	582	23270.00
3.	S & F of rigid CPVC (25mm) drain piping of 6 kg/ cm2 with 6mm thick nitrile rubber insulation, **Group -1**	Mtr.	40	375	14985.88
4.	Supply, Fixing and testing of following capacity wall mounted stablisers having output voltage variation from 200 V to 250 V(+/-5%) with input voltage variation from 170 V to 260 V, time delay facility from 2 to 4 minute and high cutoff at 270 V with providing of 16 Amp plug top making connection etc complete in all respect 3 KW (E73800), **Group - 1**	Each	3	3200	9598.88
5.	S&F following sizes (dia.) of ISI marked medium duty PVC conduit along with accessories in surface / recessed using saddles, clamps, fastener as required including cutting the wall, covering conduit and making good the same as required. 25 mm E020402 **Group -1**	Mtr	40	49	1954.68
6.	Supplying and drawing FR PVC insulated & unsheathed flexible copper conductor ISI marked (IS:694) of 1.1 kV grade and approved make in existing surface or recessed conduit/casing capping including making connections etc. as required. 2 x 4.0 sq. mm. + 1 x 2.5 sq. mm. E040117 **Group -1**	Mtr.	60	90	5375.37
7.	Supply & fixing MS powder coated stand suitable for 1.0/1.5/ 2.0 Tr outdoor type of Split AC. (E 272600) **Group -1**	Each	3	1222	3665.03
8.	P&F metal clad industrial plug top & socket with butt type contacts, interlocking feature and auto closing safety shutter (without MCB), making connections testing etc. as required Three pin/Four pin 20 A (E060810) Group- 1	Each	3	756	2268.83
9.	Wiring of 3 pin 5 amp. Light plug point with 1.5 sq. mm nominal size FR PVC insulated unsheathed flexible copper conductor 1.1 kV grade and 1.5 sq. mm nominal size FR PVC insulated unsheathed flexible copper earth conductor 1.1 kV grade(IS:694) of approved make in surface / recessed ISI marked medium duty PVC conduit & it's accessories, Hot Dipped Galvanized M.S Modular box with earth terminal, screwless cage connectors for neutral looping in switch board , 6 A modular switch, 6 A modular socket, Modular plate with grid plate, screws, making connections, testing etc. as required. **(E020700)** Long point (up to 10 mtr..) **Group - 1**	P. point	3	664	1993.08
	Total				**299244.06**

I/We hereby tender for the above work at Rs.. quoted on "H"-schedule.

हम सहमत है तथा समक्ष है कि उक्त वर्णित सामग्री कार्यादेश के तत्काल अगले दिन से AC उपलब्ध करावें एवं फिटिंग का कार्य प्रारंभ करा सकते है।

Signature of contractor

Classp

पुस्तकालयाध्यक्ष
नगर निगम, उदयपुर

सामान्य शर्ते

1. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि :– 90 (नब्बे) दिन बोली लगाने वाले से विधिमान्यता की कालावधि विस्तार करने का अनुरोध किया जा सकता है। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में बोली प्रतिभूति FOREFIT नहीं की जा सकती। (नियम 48)
2. विलम्ब से प्राप्त बोलियॉ :– बोलियां प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसी किसी भी बोली को प्राप्त नहीं करेगा जो बोलियां प्रस्तुतीकरण के लिये नियत समय और तारीख के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। कोई भी बोली, जो बोलियों के प्रस्तुतीकरण के लिये अन्तिम समय सीमा के पश्चात् डाक द्वारा पहुंची हो, को "विलम्ब से प्राप्त" के रूप में चिह्नित और घोषित किया जाएगा और बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले को लौटा दी जावेगी।
3. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार :– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्त्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।
4. परिमाण में परिवर्तन का अधिकार :– (1) संविदा के अधिनिर्णय के समय, बोली दस्तावेजों में मूलतः विनिर्दिष्ट माल, संकर्मो या सेवाओं के परिमाण में बढ़ोतरी की जा सकेगी, किन्तु ऐसी बढ़ोतरी बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सह बोली और बोली दस्तावेजों के इकाई मूल्यों या अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना होगी।
5. कार्य सम्पादन प्रतिभूति :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत
6. बोली प्रतिभूति :– प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2% होगी या जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में यह प्रदाय के लिये प्रदत्त मात्रा का 0.5% होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योंगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी उवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1% होगी। राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों से विनिर्दिष्ट रियायती बोली प्रतिभूति ली जा सकेगी। बोली प्रतिभूति बैंकर चैक या मांगदेय ड्राफ्ट या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई. जी. आर. एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल्य या बढ़ायी गई विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिये।
7. बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में जब्त (ForFit) कर दी जाएगी, अर्थात् :–
   (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के प्श्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करतर है।

   (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

   (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

   (घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।

8. सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है, या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

9. उपापन संस्था निम्नलिखित दशाओं के शीघ्र पश्चात बोली प्रतिभूति को तत्परता से लौटा देगी, अर्थात् :—

(1) बोली प्रतिभूति की विधिमान्यता के आयसान पर।

(2) सफल बोली लगाने वाले के द्वारा उपापन के लिये करार के निष्पादन और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने पर।

(3) उपापन प्रक्रिया के रद्दकरण पर, या

(4) बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय — सीमा से पूर्व बोली के प्रत्याहरण पर

जब तक कि बोली दस्तावेजों में यह अनुबंध नहीं हो कि ऐसा कोई प्रत्याहरण

अनुज्ञात नहीं किया गया है।

10. <u>करार का निष्पादन</u> :—

(1) कोई उपापनी संविदा ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेपित किया जाता है।

(2) सफल बोली लगाने वाला, बोली दस्तावेज में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या जहा बोली दस्तावेज में कोई कालावधि निविर्दिष्ट नहीं की गयी हो वहां उस तारीख से पंद्रह दिवस के भीतर, जिस पर सफल बोली लगाने वाले को स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किया जाता है, उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करेगा।

(3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संदिदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरुद्व अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कारवाई करेगी। उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगी या यदि वह उचित समझे तो बोली दस्तावेज में उपवर्णित कसौटी और प्रक्रियाओं के अनुसार न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

(4) बोली लगाने वाले को उसके खर्चे पर विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पर करार निष्पादित करने के लिए कहा जायेगा।

11. <u>परिमाण में परिवर्तन का अधिकार</u> :—

(1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोली दस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सकेगें यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया था। त्रदाय या पूर्ण होने की कालावधि भी आनुपातिक रुप से बढ़ायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होगी :—

<u>(क) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और मूल संविदा के</u>

<u>मूल्य का 50 प्रतिशत और</u>

<u>(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।</u>

12. <u>बोली दस्तावजों में परिवर्तन</u> :— बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम समय—सीमा से पूर्व भी समय उपापन संस्था किसी कारण से चाहे स्वप्रेरणा पर या बोली लगाने वाले के द्वारा स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध के परिणामस्वरुप धारा 23 के उपबंधों के अनुसार युक्तिका जारी करके बोली दस्तावेजों को उपांतरित कर सकेगी।

13. <u>बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि</u> :—

(1) बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली, बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान विधिमान्य रहेगी। यह कालावधि सामान्यतया नब्बे दिन होगी। उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुतर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी के रुप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी।

(2) बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि के अवासन के पूर्व उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए बोली की विधिमान्यतया की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी।

बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृति बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहृत की जायेगी।

(3) ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यतया की कालावधि के विस्तार से सहमत होते है उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यतया की कालावधि का विस्तार करेंगें या विस्तार करायेगें या उनकी बोली की विधिमान्यतया की विस्तारित कालावधि को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियां प्रस्तुत करेंगें। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यतया की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।

14. <u>समयावधि में वृद्धि</u> :– नगर निगम यदि फर्म द्वारा प्रस्तुत कराणों से संतुष्ट है तो आपूर्ति आदेश में दिये गये समय में तीन माह वृद्धि कर सकेगा। इस हेतु आयुक्त/महापौर संक्षम होगें।

15. बोली लगाने वाला, जो :–
(क) वित्तीय बोलियों के खुलने के पश्चात् उपापन प्रक्रिया से हटता है।

(ख) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् उपापन संविदा करने में असफल होता है।

(ग) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात् बोली लगाने वाले दस्तावेजो के निबंधनों में अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूर्ति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में, वैध आधारों के बिना असफल रहता है।

16. <u>प्रतिभूति जब्त</u> :– बोली लगाने वाला करार निष्पादन के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने के पश्चात् अगर कार्य नहीं करता है या कार्य अधुरा छोड़ता है तो कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकेगी।

1. The contractor shall follow the contractor labour regulation and abolition Act 1970 & Rule1971.
2. Wherever any claim against the contractor for the payment of a sum of money arises out of under the contracts, the MCA shall be entitled to recover the sum by appropriating in part or whole of the security deposit of the contractor, In the event of the security being insufficient or if no security has been taken from the contractor then the balance of the total sum recoverable as the case may shall be deducted from any sum then due or which at any time there contract with the MCA should this sum be sufficient to recover the full amount recoverable. The contractor shall pay to MCA on demand the balance remaining due. The MCA shall further have the right to affect such recoveries under P.D.R. Act.
3. No conditions are to be added by the contractor and conditional tender is liable to be rejected.
4. All transaction in this execution of this work and this tender will be liable to Sale-Tax vide section. 2(B) read with sub-clause (4) Sale-tax Rule, 1954.
5. The rates provided in tender documents are inclusive of all Taxes and royalty.
6. Undersigned has full right to reject any or all tenders without given any reasons.
7. All the provisions of THE RAJASTHAN TRANPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and Rules, 2013 will be applicable. If there is any contradiction in existing special conditions and provisions of THE RAJASTHAN TRANPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and Rules, 2013 provisions of THE RAJASTHAN TRANPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and Rules, 2013 shall be applicable.

17. **<u>Conditions regarding Security Deposit</u> (2.2)**

2.2.2 Refund of SD –

कार्य पूर्णता पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति कार्य संतोषप्रद रहने पर लौटादी जाएगी।

18. **Annexure D: Additional Conditions of Contract**

Correction of arithmetical errors

(i) Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

(ii) If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

(iii) If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

(iv) The bidder shall upload the OEM certificate from the authorized dealer/manufacturer/retailar of AC for participation in the bid otherwise bid will be considered as rejected.

(v) All the documents mentioned from point 3 to 6 along with Annexure A must be uploaded along with the bid otherwise bid will be considered as rejected.

(vi) All the rated quoted by the bidder shall include all type of taxes and levis.

(vii) Bidder must fill and upload the check list provided in Annexure "A" otherwise bid will be considered as rejected.

(viii) धरोहर राशि के डी.डी./बैंकर्स चैक आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर के नाम से स्वीकार किये जायेगें । जिसमे प्रथम न्यूनतम संवेदक की डी.डी./बैंकर्स चैक रोके जाकर बाकी सभी को डी.डी./बैंकर्स चैक लोटा दिये जावेगे।

(ix) सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(x) समस्त राजकीय कर टीडीएस काटे जाकर संबंधित विभाग में नियमानुसार जमा कराये जायेगें, अन्य समस्त करों एवं कानूनी दायित्वों की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।

(xi) कार्य पूर्ण होने की सन्तुष्टी इन्जीनियर इन्चार्ज की होगी। कार्य शुरू करने का समय लिखित आदेश से 10 दिन अथवा देय समय में करना होगा।

(xii) कार्य संपादन प्रतिभूति कार्यादेश की राशी की 5 प्रतिशत होगी जो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 75 (3) के अध्यधीन जमा करानी होगी। निविदाकर्ता द्वारा प्रर्फोमेन्स धरोहर राषि (BG / Form RPWA 87 / Cash / FDR) के रूप जमा करायी जावेगी।

(xiii) इस निविदा की प्रकृति से जुडे कार्य में किसी भी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/स्वायत्तशासी विभाग से गत तीन वर्षो में ब्लेक लिस्टेड़/वंचित किये गये संवेदक द्वारा इस निविदा प्रक्रिया में भाग नही लिया जा सकता है।

(xiv) निविदा शुल्क का रिफण्ड क्लेम नहीं किया जावेगा।

(xv) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्पिता अधिनियम 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्पिता नियम 2013 एवं पब्लिक वर्क एण्ड फाईनेन्स रूल्स ऑफ अपेनडिस्क (परिपिष्ट) XI लागु होगें।

(xvi) कार्य करने वाले कर्मचारी/सुपरवाईजर आदि का बीमा रखना होगा किसी प्रकार की दुर्धटना की जिम्मेदारी सम्बन्धित संवेदक की होगी।

(xvii) पी.एफ. में राज्य सरकार के निर्देशो की पालना करनी होगी।

(xviii) पेन कार्ड की फोटो प्रति साथ संलग्न करनी होगी।

(xix) स्वीकृत निविदाकार को कार्य करने के पश्चात् भुगतान किया जायेगा।

(xx) केम्प में लगने वाले सामान की Quality अच्छी होनी चाहिऐ।

(xxi) तारों के Joints की टेपिंग व्यवस्थित होनी चाहिऐं।

(xxii) श्रम–विभाग के नियमो की पालना का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xxiii) दरे माल–मटेरियल, मजदूरी सहित देनी होगी।

(xxiv) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होने एवं जहां वस्तुओ को आईएसआई स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्ष की गयी हो, उन मदो को पूर्णरूप से उक्त स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप होने एवं उसी मार्क की कार्य मे ली जावेगी एवं तार पर टेप आदि व्यवस्थित रूप से लगी होनी चाहिए।

(xxv) सभी प्रकार के करो का भुगतान द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जावेगा।

(xxvi) समस्त विवादो का न्यायिक क्षैत्र उदयपुर होगा

(xxvii) लगाये जाने वाले विद्युत सामग्री की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी। निगम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान अतिरिक्त देय नही होगा।

(xxviii) संवेदक द्वारा एस.डी. के रूप में कार्यादेश की राशि का 5प्रतिशत निगम कोष में अनुवन्ध से पूर्व जमा कराना होगा।

(xxix) संवेदक को सब–ऑर्डर अथवा किसी भी प्रकार के सन्देश (दूरभाप, मोवाईल) के माध्यम से दिये गये आदेश के अनुसार सामग्री चालु हालत में कार्यक्रम से 2 घण्टे पूर्व में उपलब्ध करानी होगी अन्यथा कार्यादेश में उल्लेखित व्यय का 200 प्रतिशत पेनाल्टी के रूप में वसुली जावेंगा एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(xxx) उक्त कार्य की BOQ में दर्शायी गयी मात्रा सांकेतिक है। चूंकि उक्त निविदा दर अनुवंध प्रक्रिया पर आधारित है अतः किसी भी Item no. की मात्रा शुन्य से लेकर आवश्यक्तानुसार काम में ली जा सकती है।

(xxxi) उक्त कार्य में समग्र रूप से न्यूनतम निविदादाता को अनुमोदित कर कार्यादेश जारी किया जावेगा।

(xxxii) निविदा में जिस संवेदक द्वारा समग्र रूप से न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जायेगी उसे L1 माना जायेगा।

(xxxiii) नगर निगम उदयपुर द्वारा उक्त कार्य का कार्यादेश दो दिन पूर्व की सूचना पर समाप्त किया जा सकेगा।

(xxxiv) परफोरमेन्स गारंटी वार्षिक दर अनुबंध राशि 2,99,000/— की 05 प्रतिशत जमा करानी होगी।

(xxxv) यह दर संविदा है अतः मात्रा एक दर्शाई गई है किन्तु मांग अनुसार संख्या में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। किसी भी न्यूनतम मात्रा की कोई गारंटी नही दी जा रही है। दर अनुबंध तीन माह की अवधि हेतु किया जाएगा जिसे नियमानुसार बढाया जा सकेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष
नगर निगम, उदयपुर

Signature of contractor

Class
Address